

बैठक के बाद संतुष्ट दिखे पायलट कहां, "मेरे मुद्दों पर एआईसीसी गंभीर"

दिल्ली में हुई बैठक में राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं से लिए गए सुझाव

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान कांग्रेस के मुद्दों को लेकर बहु प्रतिशित बैठक के बाद तय हो गया है कि अब राजस्थान कांग्रेस में नेताओं को ज्यादा शक्ति देकर शिकायत आपस में नहीं रहे। सबसे बड़ा अंतर्द्वंद्व तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिव पायलट के बीच था। बैठक के बाद जिस तरह से सचिव पायलट ने अपनी ओर से उठाए गए मुद्दों को लेकर सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों पर सहमत जताई है, उसके बाद यह अंतर्द्वंद्व भी समाप्त होना जरूर आ रहा है। हालांकि अभी सचिव पायलट को मिलने वाली संभावित जिम्मेदारी को लेकर फैसला नहीं हुआ है। इसके लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। जैसे भी गुरुवार को बुलाई गई बैठक मुख्य रूप से राजस्थान विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिए ही बुलाई गई थी। पायलट को लेकर लिए जाने वाले फैसले के लिए अलग से चार- पांच

■ सभी को चेताया, अब अनर्गल बयानबाजी हुई, तो होगी कार्यवाही, चाहे नेता कितना ही बड़ा हो

■ इस बार सितंबर में ही उम्मीदवारों की घोषणा की तैयारी, सर्वे के अनुसार जिनकी जीतने की स्थिति नहीं, उन मंत्री-विधायकों के टिकट कटेंगे

प्रमुख नेताओं की बैठक फिर से बुलाई जा सकती है। मोटे तौर पर एआईसीसी में हुई इस बैठक में राजस्थान से जुड़े 28 नेताओं ने मौजूद रहकर पार्टी के मौजूदा हालात और चुनाव जीतने की रणनीति पर अपने सुझाव दिए हैं। बैठक के बाहर आने के बाद लगभग सभी नेताओं का यही कहना था कि सब एकजुट है और राजस्थान में हालात ठीक है। पार्टी फिर से रिपोट होकर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बैठक के बाद प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पार्टी में इस बार सितंबर में ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि

बैठक में राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे ने राजस्थान के नेताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने को कहा है। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जूम एप के जरिए ऑनलाइन जुड़े। वहीं महत्वपूर्ण रूप से विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी भी बैठक में मौजूद रहे। यह भी कहा गया है कि अब किसी तरह के मतभेद की बात सामने नहीं आनी चाहिए। बयानबाजी करने पर कार्रवाई होगी। बैठक में नेताओं ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का भरपूर दिलाया। सचिव पायलट ने बैठक के बाद मान लिया कि उनके मुद्दों को पार्टी ने सुलझा दिया है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पायलट ने कहा-मुझे खुशी है पार्टी ने मेरे उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लिया है और उन पर कार्रवाई करने के लिए आगे की रूपरेखा बनाई है। भाजपा राज के कार्यकाल में तमाम करप्शन हुए उस पर सरकार गंभीर है

और कार्रवाई करेगी। मैं ऐसा मानता हूं कि करप्शन ऐसा मुद्दा है जो जन जन को प्रभावित करता है और इस इश्यू को कांग्रेस चुनावी मुद्दा बनाएगी और आगे लेकर जाएगी। बैठक के बाद संगठन महासचिव केशी वेणुगोपाल ने पायलट मुद्दे का समाधान निकालने और अब कोई भी मुद्दा नहीं होने का दावा किया है। वेणुगोपाल ने कहा कि सचिव पायलट आज की बैठक में यूनितो को लेकर बहुत अच्छा बोले और उन्होंने विश्वास जताया कि हम दोबारा सरकार बनाएंगे। पेरपल्लिक और युवाओं के मुद्दे थे, उस पर विधानसभा में बहुत ही मजबूत कानून लाया जा रहा है। सब मुद्दों का समाधान हो गया है। गहलोत चोट लगने के कारण आ नहीं सके, लेकिन वीसी से पूरे चार घंटे बैठक से जुड़े रहे। अब नेताओं के बीच कोई इश्यू नहीं है, सभी इश्यू रिजॉल्व हो चुके हैं।

जयपुर। महिला उल्टीडन एवं देहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत ने देहेज हत्या के अभियुक्त पति सुनील तोमर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मृतक के भाई और माता-पिता सहित अन्य परिजनों ने पुलिस के समक्ष मृतक को देहेज के लिए प्रताड़ित करने के बयान दिए थे और कोर्ट के समक्ष राजीनामा होने के चलते कार्रवाई नहीं चाहने की बात कही है। जिससे साबित है कि अभियुक्त की ओर से मृतक को प्रताड़ित किया जाता था। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि यदि ऐसे अपराध घटित होते रहे तो समाज का शादी जैसी व्यवस्था से विश्वास कम हो जाएगा और यह मानव विकास के लिए घातक होगा। इसके अलावा कन्या ध्रुण हत्या जैसे अपराधों की मानसिकता के पीछे भी ऐसे ही अपराधों की जड़ काम करती है, क्योंकि माता-पिता को यह चिंता सताती है कि लड़की को जन्म देने पर उसकी शादी में बहुत खर्च होगा और फिर भी उसके समुलाल में खुश रहने की गारंटी नहीं है। ऐसे अपराध लड़कियों के मन में भी यह भावना पैदा करते हैं कि पढ़ाई से अर्जित योग्यता

परिजन बयानों से मुकरे, अदालत ने अभियुक्तों को सुनाई उम्रकैद

जयपुर। महिला उल्टीडन एवं देहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत ने देहेज हत्या के अभियुक्त पति सुनील तोमर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मृतक के भाई और माता-पिता सहित अन्य परिजनों ने पुलिस के समक्ष मृतक को देहेज के लिए प्रताड़ित करने के बयान दिए थे और कोर्ट के समक्ष राजीनामा होने के चलते कार्रवाई नहीं चाहने की बात कही है। जिससे साबित है कि अभियुक्त की ओर से मृतक को प्रताड़ित किया जाता था। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि यदि ऐसे अपराध घटित होते रहे तो समाज का शादी जैसी व्यवस्था से विश्वास कम हो जाएगा और यह मानव विकास के लिए घातक होगा। इसके अलावा कन्या ध्रुण हत्या जैसे अपराधों की मानसिकता के पीछे भी ऐसे ही अपराधों की जड़ काम करती है, क्योंकि माता-पिता को यह चिंता सताती है कि लड़की को जन्म देने पर उसकी शादी में बहुत खर्च होगा और फिर भी उसके समुलाल में खुश रहने की गारंटी नहीं है। ऐसे अपराध लड़कियों के मन में भी यह भावना पैदा करते हैं कि पढ़ाई से अर्जित योग्यता

कोई मायने नहीं रखती और शादी में खर्च पैसे व अधिक देहेज ही उसके पति को खुश रख सकते हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश गजराज ने अदालत को बताया कि मृतक रीना के भाई पवन सिंह ने 15 फरवरी, 2021 को करणी विवाह था ने रिपोट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन की एक दिन पहले गला घोटकर हत्या की गई है। उसके ससुराल वाले उसे देहेज के लिए

प्रताड़ित करते थे और इसके चलते उसकी हत्या की गई है। इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में कहा गया कि मृतक के संतान नहीं होने के कारण वह अवसाद में थी और इसके चलते उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को देहेज हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

युवा कांग्रेस के बेहतर भारत की बुनियाद को लेकर चर्चा

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जयपुर शहर युवा कांग्रेस की मासिक बैठक संभ्रम हुई। सह प्रभारी चंद्रकला नागौरी, सह प्रभारी अकबर हुसैन, प्रदेश महासचिव ज़ुबैर अली खान राजस्थान युवा कांग्रेस नेतृत्व में रखी हुई इस बैठक में इस महीने बैंगलोर में होने वाली भारतीय युवा कांग्रेस के बेहतर भारत की बुनियाद राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर पूरी युवा कार्यकारिणी के साथ चर्चा हुई। इस बैठक में राहुल गांधी की सोच

को गांव गांव ढाणी ढाणी अंतिम छोड़ कर बेटे व्यक्ति तक राहुल गांधी की सोच को पढ़ने का संकल्प लिया। जयपुर शहर जिला अध्यक्ष राकेश सैनी, टीपू सुल्तान उपाध्यक्ष अजय मीणा, महासचिव चतुर सिंह नरुका, जावेद खान, युवाजग मोटवानी, सोबाब चंदेल, गुलफाम खान, एजाज खान, सलमान खान, जुबैर खान, रवि कौशिक, मनोज मीणा, सचिन मीणा, मोहम्मद अली शेख, आफ़ाब अहमद, दिनेश वर्मा राम लाल चौधरी व सभी युवक कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे।

नशीला जूस पिलाकर महिला से गैंगरेप

जयपुर। राजधानी जयपुर में नशीला जूस पिलाकर एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बाहर से आए दो रिश्तेदार रात को रुकने के लिए दोस्त को लेकर उसके घर आए थे। बेहोशी की हालत में आरोपियों ने रातभर बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। सुबह बेहोशी की हालत में नहलाकर दूसरी ड्रेस पहनाकर ओला कैब से ड्यूटी पर भेज दिया। कचहरी थाने में पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि निवारू रोड निवासी 35 साल की महिला ने रिपोट दर्ज कराई है कि वह सिंधीकैम्प इलाके में जांब करती है। गत 10 जून की दोपहर दो रिश्तेदार एडमिशन के लिए कॉलेज देखने के लिए जयपुर आए थे। रिश्तेदारों ने कहा कि आज कुछ कॉलेज देखे हैं और कल कुछ और कॉलेज देख लगे। उसके लिए रात को तुम्हारे घर ही रुकेंगे। रिश्तेदार होने

के कारण पीड़िता ने घर रुकने की सहमति दे दी। आरोप है कि रात करीब 8 बजे ऑफिस से रिश्तेदारों ने उसे कार में बैठाया। जिसके बाद रास्ते में आरोपी रिश्तेदारों ने अपने एक दोस्त को भी बैठा लिया। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि घर आने के बाद वह बाथरूम में नहाने चली गईं। नहाकर बाहर आने पर आरोपियों ने केले का जूस रख रखा था। जूस में नशीला पदार्थ मिला होने के कारण पीते ही वह बेहोश हो गईं। आरोप है कि बेहोशी की हालत में आरोपियों ने बारी-बारी उसके साथ दुष्कर्म किया। रातभर गैंगरेप करने के बाद सुबह उसे नहलाकर दूसरे कपड़े पहना दिए। जिसके बाद ओला कैब से ड्यूटी पर भेज दिया। तबीयत खराब देखकर साथी कर्मचारी उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। ग्लूकोज चढ़ाने के बाद हालत में कुछ सुधार हुआ। बाद में पीड़िता ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया।

गहलोत ने शेखावत को बताया था संजीवनी घोटाले का आरोपी, अब खुद ही कठघरे में

मानहानि मामले में अशोक गहलोत को करारा झटका, सात अगस्त को अदालत में पेश होने का आदेश

नई दिल्ली/जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गुरुवार को केंद्रीय गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर मानहानि मामले में दिल्ली की कोर्ट से करारा झटका लगा। राज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में गहलोत को समन जारी कर सात अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट ने समन जारी किया। शेखावत ने गहलोत के विरुद्ध मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में तथ्यात्मक रिपोट सौंपी थी। केंद्रीय मंत्री

गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने और गहलोत की तस्वीर वाली खबर का स्क्रीनशॉट के साथ कविता लिखकर ट्वीट साझा करते हुए मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि कोचड़ उछालने वाले लाख हैं ममार, कंठ तक जल में गड़ा, मुस्कुराता है कमला फरवरी, 2023 में गहलोत ने ट्वीट कर गजेंद्र सिंह शेखावत को संजीवनी घोटाले का आरोपी बताया था। उन्होंने कहा था कि एसओबी की जांच में संजीवनी घोटाले के अन्य गिरफ्तार आरोपियों के समान ही गजेंद्र सिंह शेखावत का जुर्म

प्रमाणित हुआ है। इसके बाद शेखावत ने दिल्ली कोर्ट में उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाकर गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था। उल्लेखनीय है कि इसी साल मार्च में शेखावत ने गहलोत के खिलाफ दिल्ली की अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। शेखावत ने कहा था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ना सिर्फ उनके चरित्र का हनन किया, बल्कि उनकी दिवंगत मां को भी आरोपी कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 21 फरवरी

को आरोप लगाया था कि संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह शेखावत के माता-पिता और पत्नी समेत पूरा परिवार शामिल है। गहलोत और शेखावत के बीच लंबे समय से आरोप-प्रत्यारोप चलते रहे हैं। गहलोत केंद्रीय मंत्री पर उनकी सरकार गिराने की कोशिश का भी आरोप लगाते रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली की राज एवेन्यू कोर्ट ने मामले को लेकर सुनवाई की। इसके बाद कोर्ट ने अशोक गहलोत को समन जारी कर दिया। उन्हें सात अगस्त को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया गया है।

एक ही स्थान पर जमे सरकारी कर्मचारियों को हटाने की मांग

जयपुर। चुनाव आयोग कार्यालय में आज भाजपा प्रदेश चुनाव प्रबंधन टीम के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त प्रवीण गुप्ता (आईएसएस) से मुलाकात की। और अधिक समय से एक ही स्थान पर जमे हुए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल रूप से हटवाए जाने की मांग की। इस दौरान विधानसभा चुनाव से पूर्व मतदाता सूची में नव मतदाताओं के नाम जुड़वाने तथा अधिक से अधिक मतदान कराए जाने के प्रयासों पर भी विचार किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त प्रवीण गुप्ता ने चुनाव आयोग द्वारा

संचालित किए जा रहे हैं। नए मोबाइल ऐप, वोटर हेल्पलाइन सुविधा, सक्षम वोटर पोर्टल, केवाईसी एवं सी विजिल वोटों के बारे में भी प्रतिनिधिमंडल को जानकारी उपलब्ध कराई। मतदान के दौरान 80 वर्ष से अधिक आयु तथा दिव्यांगजन (पर्सन विद डिसेबिलिटी) के लिए पोस्टल वोट की सुविधा पर भी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में चंद्रमोहन मीणा सेवानिवृत्त आईएसएस व पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान, राजेंद्र सिंह शेखावत प्रदेश संयोजक भाजपा प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ, सुरेंद्र सिंह नरुका मौजूद रहे।

रिटायर्ड कर्मचारियों से मिले सांसद बोहरा

जयपुर। बैंक ऑफ राजस्थान रिटायर्ड डेप्युटी सोसाइटी के पदाधिकारियों ने आईसीआईसीआई बैंक में बैंक ऑफ राजस्थान के विलय के पश्चात रिटायर्ड डेप्युटी कर्मचारियों को पेंशन में आ रही समस्याओं के सम्बंध में सांसद बोहरा को ज्ञापन प्रस्तुत कर पारिवारिक पेंशन की निर्धारित दर के कार्यान्वयन, आरबीआई के अनुसार पेंशन अद्यतन करना और आजीवन चिकित्सा सुविधा प्रदान करना आदि के सम्बंध में अवगत कराया। सांसद बोहरा ने सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि केन्द्रीय वित्त मंत्री से शीघ्र ही इस सम्बन्ध में चर्चा कर समस्याओं का निराकरण करवायेंगे।

वाणिज्य कर उपायुक्त के तीन ठिकानों पर ए.सी.बी. का छापा

जयपुर। प्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए.सी.बी.) ने जयपुर में तैनात वाणिज्य उपायुक्त चौबे लाल मीणा के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति का मामला दर्ज किया है। एसीबी टीम ने गुरुवार सुबह चौबे लाल के आवास व अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी। एसीबी को प्रारम्भिक जांच में चौबे के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति के दस्तावेज मिले। जिसके बाद उसका एसीबी ने सत्यापन कराया। शिकायत सहि मिलने पर एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली। एसीबी एडीजी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय पर चौबे लाल मीणा के खिलाफ शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने पर एसीबी

जयपुर। प्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए.सी.बी.) ने जयपुर में तैनात वाणिज्य उपायुक्त चौबे लाल मीणा के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति का मामला दर्ज किया है। एसीबी टीम ने गुरुवार सुबह चौबे लाल के आवास व अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी। एसीबी को प्रारम्भिक जांच में चौबे के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति के दस्तावेज मिले। जिसके बाद उसका एसीबी ने सत्यापन कराया। शिकायत सहि मिलने पर एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली। एसीबी एडीजी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय पर चौबे लाल मीणा के खिलाफ शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने पर एसीबी

गंदगी व आवारा पशु देखकर स्वायत्त शासन सचिव ने अफसरों को लताड़ा

स्वायत्त शासन सचिव महेशचंद्र शर्मा व निदेशक हृदयेश शर्मा ने परकोटा घूमकर अधिकारियों को दिखाई बदहाल सफाई-सीवरेज की हकीकत

जयपुर (कासं)। मानसून आ चुका है, लेकिन राजधानी जयपुर की सड़कों पर गंदगी व मलबे का ढेर है। सड़कों पर कहीं आवारा पशु घूमते दिख रहे हैं तो कहीं सीवरेज का पानी बहता मिल रहा है। परकोटे में यह हालात ज्यादा गिगड़े हुए हैं। गुरुवार को स्वायत्त शासन सचिव महेशचंद्र शर्मा ने जब लगतार



स्वायत्त शासन सचिव महेशचंद्र शर्मा ने अजमेरी गेट स्थित यादगार के पास सड़क पर सीवरेज लाइन का गंदा पानी बहता देखकर नाराजगी जताई। उनके साथ स्वायत्त शासन निदेशक हृदयेश शर्मा और हैरिटेज निगम आयुक्त राजेंद्र सिंह भी मौजूद थे।

■ आयुक्त राजेंद्र सिंह को 48 घंटों के भीतर हालात सुधारने के लिए कहा

■ परकोटे के आवारा पशुओं को पकड़कर हिगोनिया गोशाला भेजने के निर्देश

दूसरे दिन शहर में औचक निरीक्षण किया तो यह पोल खुलकर सामने आया। उन्होंने यह अव्यवस्थाएं देखकर हैरिटेज निगम के अफसरों को लताड़ा लगाई। चारदीवारी में घूमते आवारा पशुओं को जल्द से जल्द पकड़कर हिगोनिया गोशाला भेजने के आदेश दिए। इस दौरान डीएलबी निदेशक हृदयेश शर्मा, नगर निगम आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत

समेत नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। अजमेरी गेट पर सीवरेज का पानी सड़क पर बहता देखकर स्वायत्त शासन सचिव महेशचंद्र शर्मा ने नाराजगी जाहिर की और जल्द से जल्द उसे दुरुस्त करने के आदेश दिए। इसके बाद जैसे ही शर्मा मनिहारों के रास्ते पहुंचे, वहां नालियों

का कचरा बाहर पड़ा हुआ था, जिसे हूपर ने नहीं उठाया था। इस पर भी शर्मा ने अधिकारियों को जमकर लताड़ा लगाई। चारदीवारी में जगह-जगह गंदगी और सीवरेज का पानी बहता देख शर्मा ने 48 घंटों में बदहाल व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। स्वायत्त शासन सचिव

महेश शर्मा ने 22 गौदाम सिकिल से चौम सिकिल, स्टेच्यू सिकिल, पांच बत्ती, अजमेरी गेट, मनिहारों का रास्ता, बापू बाबा, इन्दरा बाबा, बाबा हरिश चन्द्र मार्ग, नाहरगढ़ रोड, माउंट रोड, रामगढ़ मोड सिकिल, जलमहल, सुभाष चौक का दौरा किया।

अपार्टमेंट की पार्किंग में महिला की चैन तोड़ी

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर। राजधानी जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र के मांग्यावास स्थित एक अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ी महिला के गले से सोने की चैन तोड़कर बदमाश फरार हो गए। किराए का फ्लैट पछुने के बहाने बदमाश अपार्टमेंट की पार्किंग तक पहुंच गया था। बदमाश ने छीना-झपटी की तो महिला नीचे गिर गई। इसी का फायदा उठाकर बदमाश फरार हो गए। इसका गुरुवार को सामने आया है।

■ मानसरोवर क्षेत्र में मांग्यावास स्थित एक अपार्टमेंट की पार्किंग की घटना

मामला शहर के मानसरोवर थाना क्षेत्र के मांग्यावास का 4 जुलाई का है। इसका सीसीटीवी अब सामने आया है। पीड़िता के पति नीरज जैन ने 5 जुलाई रात 8 बजे मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि गरिमा जैन (45) मांग्यावास के कृष्णा विहार अपार्टमेंट में रहती है। पति नीरज जैन का शेयर मार्केट का काम करते हैं। गत 4 जुलाई की दोपहर वह टैगोर हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने गई थी। दोपहर करीब 2.15 बजे स्कूटी से वापस अपने फ्लैट पर लौटी। अपार्टमेंट की पार्किंग में वह स्कूटी खड़ी कर रही थी। इसी दौरान अपार्टमेंट की बिल्डिंग के सामने बाइक सवार दो लड़के आकर रुके। एक लड़का बाइक से उतरकर पार्किंग में अंदर आया। किराए पर फ्लैट होने के लिए पूछा। दूसरा लड़का बाइक स्टार्ट करके खड़ा था। मना करने के बाद भी लड़का अंदर

चला आया और झपट्टा मारकर गले से चैन तोड़ने की कोशिश की। महिला ने बदमाश का विरोध कर पकड़ने का प्रयास किया तो छीना-झपटी के दौरान महिला नीचे गिर गई और इसी का मौका देख बदमाश सोने की चैन लेकर फरार हो गया। गरिमा ने बताया कि घटना के दौरान अपार्टमेंट के नीचे कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। इससे पहले जैसे ही बदमाश अंदर आया तो मुझे शुक हुआ। मैं दोपहर करीब 1.15 बजे स्कूटी से सामने आकर झपट्टा मारने लगा। जब बदमाश चैन तोड़कर फरार हुए तो मैंने उनका पीछा भी किया, लेकिन तब तक वे भाग चुके थे। इधर, घटना के बाद अपार्टमेंट के लोग भी डरे हुए हैं। पुलिस से घटनास्थल पर लगे सी.सी.टी.वी. की कैमरों की फुटेज में कैद हुए बदमाशों के हलिये के आधार पर उनकी तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपियों का कोई सुराग नहीं है।

<p>बैंक ऑफ बरौडा Bank of Baroda</p>	<p>रेवेन्स कैम्पस शाखा, रेवेन्स स्टेशन को पास, अजमेर 305001 फोन नं. 0145- 2452849, ई-मेल: nainim@bankofbaroda.co.in</p>
<p>प्रतिभूतिस्थित (प्रबलन) निधय, 2002, परसिद्धि (निधय 8 (1) देखें) कन्या सम्पत्ति (अच्छल सम्पत्ति के लिए)</p>	<p>जयकि निधयन्ताराकारों बैंक ऑफ बरौडा के प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में वित्तीय अधिकारों का प्रतिभूतिकरण और पूर्णतः और प्रतिभूतिकरण प्रबलन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 54) के अंतर्गत और धारा 13 (1) के अंतर्गत प्रबलन अधिनियमों के अंतर्गत, प्रतिभूतिकरण (प्रबलन) निधय, 2002 के निधय 3 के संवर्धन, अग्री सूची बरिचय पुत्री 80 अनुसार संवर्धन उप-जमाकरणों की संवर्धन अधिनियमों के अंतर्गत और धारा 13 (1) के अंतर्गत और धारा 13 (1) के अंतर्गत 20.12.2022 पर उभराने की जांच की जांच में 60 दिनों की भीतर दिनांक 19.12.2022 को कन्या सम्पत्ति रु. 21,99,193.87 (दस लाख एक हजार एक सौ नब्बे हजार एक सौ नब्बे रुपये) के अंतर्गत प्रबलन अधिनियमों के अंतर्गत व अन्तर्गत बरौडा के प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में वित्तीय अधिकारों का प्रतिभूतिकरण और पूर्णतः और प्रतिभूतिकरण प्रबलन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 54) के अंतर्गत और धारा 13 (1) के अंतर्गत और धारा 13 (1) के अंतर्गत और धारा 13 (1) के अंतर्गत और धारा 13 (1) के अंतर्गत और धारा 13 (1) के अंतर्गत और धारा 13 (1) के अंतर्गत</p>
<p>कन्या का वयन, प्रतिभूतिकरण अधिनियम के अंतर्गत के लिए, उल्लेख सम्पत्ति के संवर्धन में, अधिनियम की धारा 13 (8) के अंतर्गत की अंतर्गत अधिनियम अधिनियम</p>	<p>अजमेर का वयन, प्रतिभूतिकरण अधिनियम के अंतर्गत के लिए, उल्लेख सम्पत्ति के संवर्धन में, अधिनियम की धारा 13 (8) के अंतर्गत की अंतर्गत अधिनियम अधिनियम</p>